रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. [illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 30, 1971/माघ 10, 1892

No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1971/MAGHA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January 1971

S.O. 576.—The following order made by the President is published for general information:—

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 44 of the Punjab Re-Organisation Act, 1966 (31 of 1966), the President hereby declares the amount of expenditure incurred out of the Consolidated Fund of Punjab and specified in column (3) of the Schedule annexed hereto on the service specified against such amount in column (2) thereof in respect of the financial year ended on the 31st March 1965, in excess of the amount granted for that service and for that year, in the light of the Report of the Comptroller and Audit General of India relating to the accounts of the State of Punjab in respect of the said financial year, to have been duly authorised.

THE SCHEDULE

Grant No.	Service	Amount		
(1)	(2)	(3)		
		Voted	Charged	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
4	Sales Tax	21,149	176	21,325
6	Stamps	3,31,071	..	3,31,071
9	General Administration	2,28,781	..	2,28,781
13	Supplies and Disposals	7,332	..	7,332
28	Irrigation (Works)	10,63,895	..	10,63,895
29	Charges on Irrigation Establishment	10,26,799	..	10,26,799
30	Public Works	..	78,122	78,122
39	Forest	..	3,829	3,829
46	Capital Outlay on Multipurposes River Schemes-Bhakra Nangal Project	25,37,980	..	25,37,980
47	Irrigation (Capital)	93,13,592	..	93,13,592
48	Capital Outlay on Public Works	..	2,27,734	2,27,734
51	Capital Outlay on Aviation	188	..	188
	Public Debt	..	10,09,91,372	10,09,91,372
	TOTAL	1,45,30,787	10,13,01,233	11,58,32,020

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 5(8)-B/70]

B. MAITHREYAN
Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 30 जनवरी, 1971

एस० ओ० 576.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 के इकतीसवें अधिनियम) की धारा 44 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, पंजाब की समेकित निधि में से खर्च की गयी उस अतिरिक्त रकम को, जो इस आदेश के साथ लगायी गयी अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित है और जो स्तंभ (2) में उल्लिखित उस रकम के सामने निर्दिष्ट सेवा पर खर्च की गयी है और जो उस वर्ष के लिए उस सेवा के सम्बन्ध में स्वीकृत रकम से अधिक है, भारत के

नियंत्रक महालेखा परीक्षक की उपर्युक्त वित्तीय वर्ष की पंजाब राज्य के लेखों से सम्बन्धित रिपोर्ट को देखते हुए, विधिवत प्राधिकृत घोषित करते हैं :—

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवा	रकम		
		स्वीकृत रुपये	प्रभारित रु०	जोड़ रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	बिक्री कर	21,149	176	21,325
6	स्टाम्प	3,31,071	—	3,31,071
9	सामान्य प्रशासन	2,28,781	—	2,28,781
13	सम्भरण और निपटान	7,332	—	7,332
28	सिंचाई (निर्माण कार्य)	10,63,895	—	10,63,895
29	सिंचाई प्रतिष्ठान पर व्यय	10,26,799	—	10,26,799
30	लोक निर्माण कार्य	—	78,122	78,122
39	वन	—	3,829	3,829
46	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय— भाखड़ा नंगल प्रायोजना	25,37,980	—	25,37,980
47	सिंचाई (पूंजीगत)	93,13,592	—	93,13,592
48	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	—	2,27,734	2,27,734
51	विमानन पर पूंजी परिव्यय	188	—	188
	सरकारी ऋण	—	10,09,61,372	10,09,91,372
	जोड़	1,45,30,787	10,13,01,233	11,58,32,020

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति

[सं० एफ० 5(8)—बी/70]

बी० मैत्रेयन,
संयुक्त सचिव,

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971